अमरोहा की औद्योगिक इकाई को मंडी शुल्क में मिलेगी पूरी छूट

मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर चार वर्ष बाद निवेशक की समस्या का हुआ समाधान

अमर उजाला ब्यूरो

नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को भी मंडी शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट देने का फैसला

लखनऊ। कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में अमरोहा के निवेशक जेआरजी फूड्स प्रा. लि. को मंडी शुल्क पर पूर्ण छूट देने का फैसला हुआ है। निवेशक चार वर्ष से मंडी शुल्क में छूट के लिए मंडल से शासन तक चक्कर काट रहा था। इसी के साथ यह भी तय हुआ कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत स्थापित पात्र नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्लांट व मशीनरी में 5 करोड़ या उससे अधिक के निवेश पर 5 वर्ष तक मंडी शुल्क में पूरे 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

'अमर उजाला' ने 18 अक्तूबर के अंक में इस मामले चार वर्ष से लटकाए जाने को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद मंगलवार को एपीसी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में स्पष्ट निर्णय हुए। बैठक में बताया गया कि कृषि विपणन विभाग द्वारा अपनी पूर्व की अधिसूचना में मंडी शुल्क से 'छूट की दर में कमी' को विलोपित कर संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है। ऐसे में इस नीतिगत निर्णय का लाभ सभी नव स्थापित खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाइयों को प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि मंडलायुक्त मुरादाबाद ने नीति में स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद निवेशक को मंडी शुल्क में 2 प्रतिशत के स्थान पर 0.5 प्रतिशत छूट की संस्तुति की गई थी।

'अमर उजाला' ने 18 अक्तूबर अंक में इस मामले को प्रमुखता से उठाया था

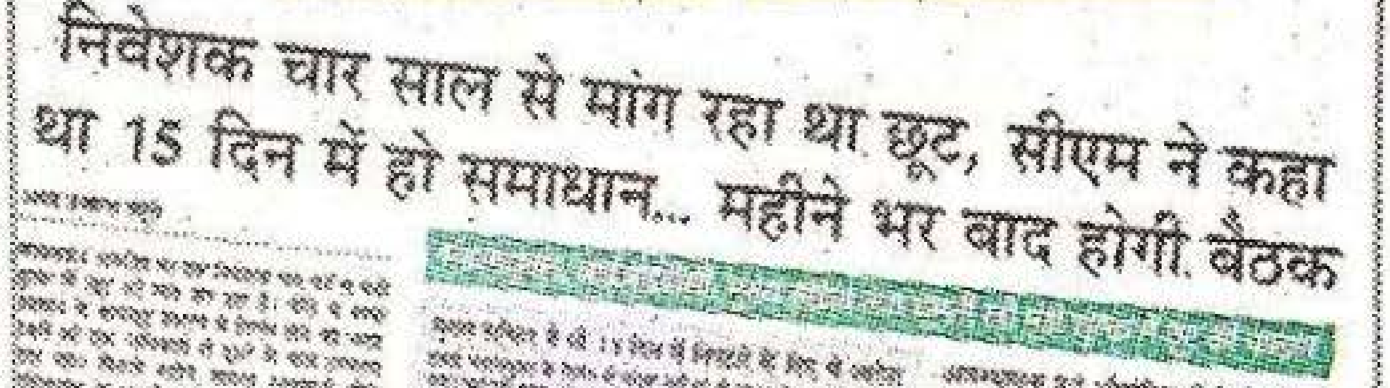
निवेशक चार साल से मांग रहा था छूट, सीएम ने कहा था 15 दिन में हो समाधान... महीने भर बाद होगी बैठक
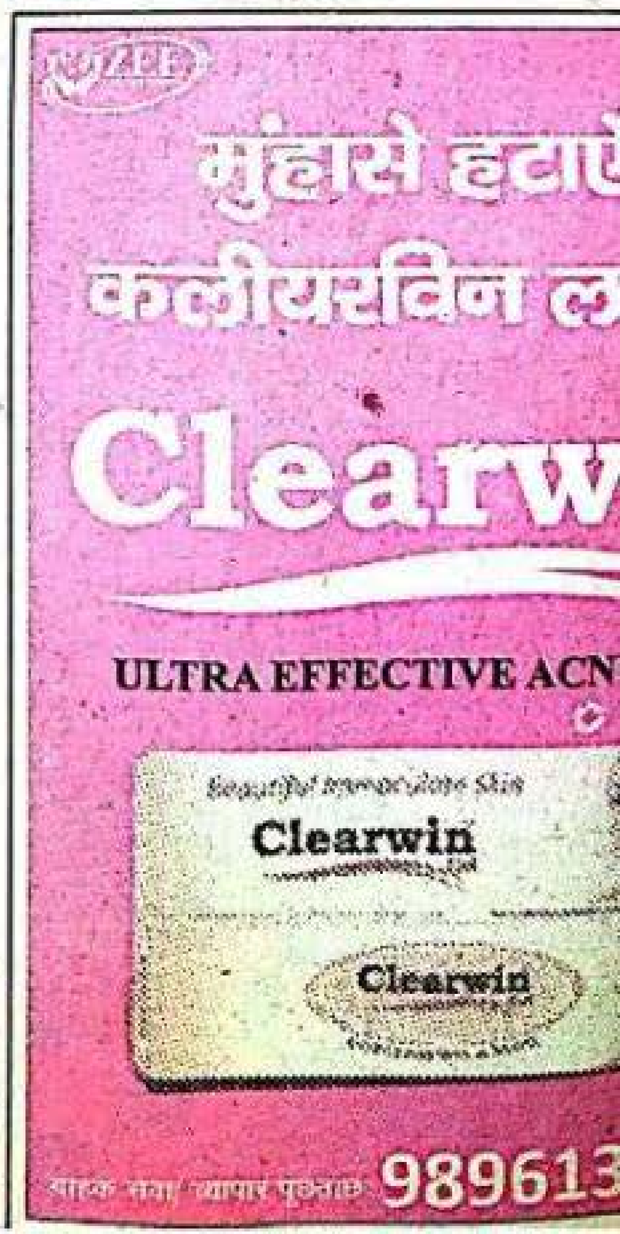
मंडलायुक्त को पूरे दो प्रतिशत छूट का प्रस्ताव भेजने के निर्देश : कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में दिए गए प्रावधान में इकाई कच्चे माल की आवक कहां से है एवं उसका उत्पाद कहां विक्रय किया जाता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं किया गया है। ऐसे में इस आधार पर इकाई को प्रावधान के अनुसार 2 प्रतिशत के स्थान पर 0.5 प्रतिशत छूट दिया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। एपीसी ने मंडलायुक्त मुरादाबाद को निर्देशित किया कि इकाई को मंडी शुल्क से छूट के लिए मंडलीय छूट समिति की बैठक बुलाकर स्पष्ट संस्तुति शासन को भेजें।